

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, चुनाव में मतदान हेतु मतदाता के लिए अनुदेश

- 01— चिकित्सक जिनका नाम आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक के रूप में दिनांक 10-6-2019 तक आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 के स्टेट रजिस्टर में अंकित है, वह चिकित्साभ्यास से सम्बन्धित जनपद के पते में रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्र पर नियत तारीख व समय पर मत देने का अधिकारी है । जनपद स्तर पर बनाये गये मतदान केन्द्र का पता , मतदान हेतु नियत की गई तारीख एवं समय आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 की वेबसाइट bimup-org पर "सी0सी0आई0एम0 इलेक्सन" स्तम्भ में प्रदर्शित है ।
- 02— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन)नियमावली, 1975 यथा संशोधित नियम 2018 के प्राविधानानुसार निर्वाचन निर्धारित प्रोफार्मा -2 में बैलेट (मतपत्र)द्वारा व्यक्तिगत मतदान से कराया जायेगा । व्यक्तिगत मतदान से अभिप्रेत है कि मताधिकार के योग्य सभी पात्र व्यक्ति आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश (पूर्व नाम—भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0) द्वारा निर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और मतदान से पूर्व अपनी पहचान साबित करने के लिए केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र सहित अपने चिकित्साभ्यास के जनपद के मतदान बूथ पर आयेगें ।
- 03— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश (पूर्व नाम— भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र की प्रति दिखाने पर ही पात्र सदस्यों को मतपत्र जारी किया जायेगा ।
- 04— कोई मतदाता मतदान का इच्छुक अपना मतदान करने से पूर्व मतदाता सूची में स्याही से हस्ताक्षर करेगा ।
- 05— आयुर्वेद मतदाता को चार (04) एवं यूनानी मतदाता को दो (02) मत प्राप्त है, किन्तु वह किसी एक अभ्यर्थी को केवल एक ही मत देगा ।
- 06— जिस /जिन अभ्यर्थी /अभ्यर्थियों को वह मत देना चाहता है उस/उनके नाम के सामने " X" का चिन्ह लगा कर मत देगा ।
- 07— किसी व्यक्ति को मतदान नहीं करने दिया जा सकेगा –
(क) व्यक्ति अपनी पहचान साबित न कर सके ; अथवा
(ख) व्यक्ति आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश (पूर्व नाम— भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0) द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण का उसका विधिमान्य साक्ष्य दिखाने में असफल रहता है ; अथवा
(ग) व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के बाद मतदान बूथ पहुंचे ; अथवा
(घ) व्यक्ति मतदान परिसर में दुर्व्यवहार अथवा बहस करे ; अथवा
(ङ) व्यक्ति मतदान अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का अनुपालन करने में बाधाएँ पैदा करने की कोशिश करे ।

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव, आयुष विभाग एवं
रिटर्निंग आफिसर, भारतीय चिकित्सा
केन्द्रीय परिषद निर्वाचन

सेवा में,

सी0सी0आई0एम0 चुनाव,2019

सहायक निर्वाचन अधिकारी / जिला होमियोपैथिक चिकित्साधिकारी
जनपद _____ ।

विषय – भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्वाचन ,2019 में प्राप्त मतों की मतगणना के समय उपस्थित प्रतिनिधि को प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन करना है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् , निर्वाचन 2019 में मै.....

.....पुत्र श्रीपता.....

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति / यूनानी चिकित्सा पद्धति पंजीयन संख्याका अभ्यर्थी हूँ ।

उक्त निर्वाचन में प्राप्त मतों की मतगणना की प्रक्रिया के समय उपस्थित होने हेतु मेरे द्वारा श्री

.....पुत्र श्रीपता.....मो0

नं0.....को प्राधिकृत किया जा रहा है । कृपया मेरे द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को मतगणना

स्थल पर प्रवेश की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

(स्वप्रमाणित नवीनतम
फोटो चस्पा करें)

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रेशन नं0—

आई0डी0 का प्रकार—

आई0डी0नं0 —

दिनांक :-

उपरोक्त अनुरोध पर श्रीको मतगणना स्थल में
प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है ।

दिनांक:

()
सहायक निर्वाचन अधिकारी
नाम / पदनाम मुहर सहित